न्यायालय उपजिलाधिकारी, जमानियां
मु0नं0–67
मौजा–रामपुर पट्टी सरनाम खाँ

गुरूकुल पतंजलि विद्यापीठ बनाम उत्तर प्रदेश सरकार	अन्तर्गत धारा–143 ज0वि0अधि0 पगरना व तहसील, जमानियाँ जिला–गाजीपुर

आदेश

उत्तर प्रदेश ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 143 के तहत यह आवेदन पत्र गुरूकुल पतंजलि विद्यापीठ रामपुर, पोस्ट–देवरियाँ, परगना–जमानियाँ, जिला–गाजीपुर के प्रबन्धक श्रीपति यादव पुत्र श्री खेदन यादव के तरफ से इस आशय का दायर किया गया है कि मौजा–रामपुर पट्टी सरनाम खाँ परगना व तहसील जमानियाँ, जनपद–गाजीपुर के भूमिखण्ड खतौनी संख्या 0068 गाटे का खसरा सं0–30स, रकबा–0. 1470हे0, 30ब, रकबा–0.288हे0 व आ0नं0 28सं0 रकबा 0.147हे0 कुल रकबा 0.5820हे0 संक्रमणीय भूमिधर एवं अधिपत्य भोगी हैं। प्रश्नगत भू0 भाग के चारों तरफ विद्यालय का निर्माण हुआ है जिसमें कृषि कार्य नहीं होता मौके पर अकृषक हो गयी है। स्थलीय जॉच के पश्चात् प्रश्नगत भू–भाग जिसके चारों तरफ विद्यालय का भवन एवं चाहरदीवार है, को अकृषक घोषित की मांग किया गया है।

प्रार्थना पत्र जॉच तहसीलदार जमानियाँ से कराई गयी स्थलीय एवं अभिलेखीय जॉच के पश्चात निर्धारित प्रारूप पर प्रेषित की गयी कि मौजा रामपुर पट्टी सरनाम खाँ पगना व तह0 जमानियाँ, जिला–गाजीपुर की उपरोक्त भूमि खतौनी संख्या 0068 गाटे का खसरा सं0–30स, रकबा–0.1470हे0, 30ब, रकबा–0.288हे0 व आ0नं0 28सं0 रकबा 0.147हे0 कुल रकबा 0.5820हे0 तथा विद्यालय के बाउण्ड्री के बीच में है। अकृषिक घोषित करने की आख्या प्रेषित की गयी है।

विद्वान अधिवक्ता को सुना गया पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य कागजात एवं तहसीलदार की आख्या का अवलोकन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध खतौनी एवं तहसीलदार जमानियाँ की आख्या के अनुसार उपरोक्त भूमि पर कृषि कार्य नहीं होता है। मौके पर अकृषक हो गई है। मौक की स्थिति के अनुसार अकृषिक घोषित किया जाना औचित्य है।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध कागजात एवं तहसीलदार जमानियाँ की आख्या के अनुरूप कुल रकब 0.5820हे0 जिसे अकृषिक घोषित किया जाता है, तदनुसार अभिलेख संशोधन हेतु दरखत अमलदरामद जारी होवे। आवश्यक अनुपालन के पश्चात् पत्रावली दाखिल दफ्तर होवे।

उप जिला मजिस्ट्रेट
उपजिलाधिकारी
जमानियाँ
जिला गाजीपुर
जमानियाँ - गाजीपुर